

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 13.03.2013

क्रमांक एफ 1-56/2012/16 :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम 1996 का 27) की धारा 40 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के परामर्श पश्चात्, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) नियम 2008 के नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप 28 में निम्नलिखित संशोधन करती है। यह संशोधन भूतलक्षीय प्रभाव अर्थात् दिनांक 08 मई 2008 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -


नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप- 28

(नियम 272 (1) देखिए)

हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र-

1. नाम
2. विशेष पहचान संख्या
3. पिता/पति का नाम
4. पता
- (एक) वर्तमान पता
- (दो) स्थायी पता
- मो./फोन
5. जाति-अजा/अजजा/अन्य/सामान्य (जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगायें)
6. आयु
7. विवाहित/अविवाहित/विधवा
8. नियोजन का विवरण :-



स.क्र.	नियोजक का नाम तथा पता	क्या काम किया	दिनों की संख्या जिसके लिये वास्तविक रूप से नियोजित रहा (कितने दिन काय केय)	नियोजक के हस्ताक्षर/पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार सच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				